

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या-...106/20-21(VIII)...

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- 999 मौजा-... 0/र1 थाना नं0-... 201 खाता संख्या-... 7 प्लॉट संख्या-... 2005 रकबा-... 1.5/0 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-... 1 के पृष्ठ संख्या-... 230 पर जमाबंदी रैयत <u>फूलमति हांसदा पिल - विशु हांसदा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशांसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक-... 19/9/2020 को उपस्थापित करें।</p>	<p>⑤ 03/9/20</p> <p>अचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- फ़ारमाते हाँसदा पाते किशु हाँसदा
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा <u>मैरी</u>	थाना नं० <u>201</u>	खाता सं० <u>7</u>	प्लॉट सं० <u>2005</u>	रकबा <u>1 1/2</u>
---------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....1..... पृष्ठ सं०-230 पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- —
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैर आबाद मारिपक
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- हाँ
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
जैर आबाद
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोवस्ती) - क S.D.O आदेशानुसार 71(VIII) 8888
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
संघारित पंजी-2
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
—	—	—	—

अं 20/अनवि, गौबन्दपुर.

मराशय

आवेदित अंकित मौजा मैरी थाना सं० 201 खाता
 7 प्लॉट सं० 2005 रकबा 1 1/2 संघारित जैर आबाद पंजी में अंकित
 जैर आबाद खाता की है. प्राधिकार कायम में S.D.O आदेशानुसार 71(VIII)
 8888 वर्ष 37 लगान रसीद निर्गत होने का विकल्प अंकित नहीं है. प्रथम
 दृष्ट्या उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है.

आफ
R&Tm